

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी,.....एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेरथाना.....सीपीएस, एसीबी, जयपुरवर्ष ... 2023.....
- प्र. इ. रि. स. 310/23 दिनांक 26/12/23
2. (अ) अधिनियम व.धारायें.....13(1)ई,13(2)पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)बी,13(2) पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 सहपठित धारा 109 व 120बी भादस
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें..... 109 व 120 बी भादस
- (स) अधिनियमधारायें.....
- (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 1112 समय 5.00 P.M.
- (ब) अपराध घटने का दिन-दिनांक..... सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.2006 से 30.10.21 तक समय
- (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.10.2021 समय.....09.30 ए.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक - अपराध संख्या 413/21 दिनांक... 30.10.2021 खाना तलाशी रिपोर्ट से दर्ज
5. घटनास्थल :- सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.06 से 30.10.21
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी -एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से उत्तर-पूर्व दिशा में करीब 50 किलोमीटर.....
(ब) पता - पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर
.....बीट संख्या जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम... श्री राकेश वर्मा उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर
- (ब) पिता का नाम श्री रमेश चन्द्र
- (स) जन्म तिथि /वर्ष साल.....52 साल.....
- (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
- (र) व्यवसाय..... उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर
- (ल) पता ... भ्रनिब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री खीवसिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गांव सेखीसर पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर हाल म0न0 36 जीवन मंदिर कालोनी लोहागल अजमेर तत्कालीन उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर हाल निलम्बित पुलिस लाईन नागौर
2. श्रीमती मीनू कंवर पत्नि श्री कंवरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी गांव सेखीसर पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर हाल म0न0 36 जीवन मंदिर कालोनी लोहागल अजमेर
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-कोई नहीं.....
9. चुराई हुई / लिफ्ट सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होते अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....5101943 रुपये (72.51 प्रतिशत) वैध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित
10. चुराई हुई /लिफ्ट सम्पत्ति का कुल मूल्य ... पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
.....5101943 रुपये (72.51 प्रतिशत) वैध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित
- 11
विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार निवेदन है कि आरोपी श्री कंवरपाल सिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ के विरुद्ध दिनांक 29.10.21 को परिवादी श्री भागीरथ चौधरी द्वारा ट्रेप कार्यवाही करवायी जाकर प्रकरण संख्या 413/21 दर्ज करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.10.21 को आरोपी के निवास स्थान मकान नं0 36, जीवन मन्दिर कॉलोनी लोहाखान की तलाशी ली गई। तलाशी मे मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोपी श्री कंवरपाल सिंह से अपनी आय-व्यय व अर्जित परिसम्पतियों फर्द खाना तलाशी एवं जांच के दौरान संकलित किये गए दस्तावेजों व गवाहान बयानों तथा आरोपी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विवेचन किये जाने पर आरोपी श्री कंवरपाल सिंह उप निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सेवाकाल अवधि 16.04.06 से 30.10.21 तक व उनकी पत्नि श्रीमती मीनू कंवर द्वारा अर्जित की गई आय, व्यय एवं अर्जित परिसम्पतियों का विवरण प्रारूप अ ब स द में निम्नानुसार है :-

-:: प्रपत्र "अ" ::-

सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.2006 से 30.10.2021 से पूर्व अर्जित सम्पतियों का विवरण :-

क्र.	परिसम्पति का विवरण	खरीदने/ निवेश	किसके नाम	परिसम्पति का	वर्तमान में
------	--------------------	---------------	-----------	--------------	-------------

सं.		की दिनांक/ वर्ष	खरीदी गई-एस. ओ. से संबंध	मूल्य	परिसम्पति के उपलब्ध होने का विवरण
1	-	-	-	-	-
				शून्य	

-: प्रपत्र- "ब" :-

परिसम्पतियां :- सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.2006 से 30.10.2021 में मौजूद पाई गई परिसम्पतियों का विवरण -

क्र. सं.	परिसम्पति का विवरण	खरीदने/ निवेश की दिनांक/ वर्ष	किसके नाम खरीदी गई-एस. ओ. से संबंध	परिसम्पति का मूल्य
1	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर के नाम मकान नम्बर 36, जीवन मन्दिर कॉलोनी लोहागल रोड, अजमेर स्थित मकान जो दिनांक 19.06.18 को श्री अजय जैन से 10,50,000 रु० में कय किया गया जिस पर पंजीयन शुल्क 61,200 रु० खर्च हुए इस प्रकार कुल 11,11,200 रु० खर्च	19.06.18	एसओ की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर	11,11,200
2	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर के नाम मकान नम्बर 36, जीवन मन्दिर कॉलोनी लोहागल रोड, अजमेर स्थित मकान की सा०नि०वि० अजमेर द्वारा प्रेषित मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार निर्माण की कुल कीमत	2019	एसओ द्वारा खर्च	79,27,901
3	श्री कंवरपाल सिंह के नाम एसबीआई मुख्य शाखा अजमेर में स्थित खाता संख्या 30052076645 में दिनांक 29.10.21 को अन्तिम बैलेंस	29.10.21	एसओ के नाम	363
4	श्री कंवरपाल सिंह के नाम एसबीआई मुख्य शाखा अजमेर में स्थित खाता संख्या 40407364470 में दिनांक 29.10.21 को अन्तिम बैलेंस	29.10.21	एसओ के नाम	29,000
5	श्रीमती मीनू कंवर पत्नि श्री कंवरपाल सिंह के नाम एसबीआई शाखा थांवला तहसील डेगाना नागौर में स्थित खाता संख्या 61231093067 में दिनांक 29.10.21 को अन्तिम बैलेंस	29.10.21	एसओ की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर के नाम	8,307

३०

6	श्रीमती मीनू कंवर पत्नि श्री कंवरपाल सिंह के नाम पीएनबी शाखा वैशाली नगर अजमेर स्थित खाता संख्या 07712413000282 मे दिनांक 29.10.21 को अन्तिम बैलेंस	29.10.21	--	00
7	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह व उसके भाई श्री प्रभु सिंह के नाम से बैंक ऑफ बडौदा शाखा फतेहपुर मे स्थित खाता संख्या 08430500001853 मे दिनांक 29.10.21 को अन्तिम बैलेंस	29.10.21	एसओ व उसके भाई के नाम	2,06,882
8	वाहन संख्या आरजे-14-सीई -7695 श्री कंवरपाल सिंह के नाम से दिनांक 27.01.20 को मारुति स्विफ्ट डीजायर वीडिआई वाहन जो श्री भवानी सिंह से 70,000 रू0 मे कय कर रजिस्ट्रेशन पर कुल 7,020 रू0 कय किये जिस पर उक्त वाहन पेटे कुल 77,020 रू0 खर्च	27.01.20	एसओ के नाम	77,020
9	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर के नाम मकान नम्बर 36, जीवन मन्दिर कॉलोनी लोहागल रोड, अजमेर की दिनांक 30.10.21 को ली गई खाना तलाशी में अंकित सामान की कीमत	30.10.21	एसओ की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर के नाम	6,57,850
कुल योग				1,00,18,523

--: प्रपत्र- "स" :-

दिनांक 16.04.2006 से 30.10.2021 तक की अवधि में एस.ओ., उसकी पत्नी व बच्चों की शुद्ध आय (Net Income) जिनमें वेतन, पूर्व निवेश पर प्राप्त ब्याज आदि भी शामिल है का विवरण -

क्र.सं.	आय का शीर्षक विवरण	आय प्राप्त होने की दिनांक / वर्ष	किसके द्वारा आय अर्जित की गई है। एस.ओ. से संबंध	शुद्ध आय की राशि
1	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह को अपने सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.06 से दिनांक 30.10.21 तक मिले वेतन व भत्तो से बाद आयकर कटौती के प्राप्त शुद्ध आय 43,34,465 रू0	सेवाकाल	एसओ द्वारा सेवाकाल मे वेतन से अर्जित आय	4334465
2	आरोपी एवं उसकी पत्नि द्वारा मकान नं0 36, जीवन मन्दिर	18.06.18	एसओ द्वारा	25,88,000

30

	कॉलोनी लोहागल रोड अजमेर के भवन निर्माण हेतु पीएनबी बैंक वैशाली नगर अजमेर से लिया गया ऋण राशि			
3	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह ने श्री अशोक कुमार पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी कबीर नगर लोहागल अजमेर से जरिए फोनपे से दिनांक 24.01.21 को 33,000 रू0 उधार प्राप्त की गई राशि	24.01.21	एसओ द्वारा	33,000
4	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह ने श्री रिछपाल ठोलिया पुत्र श्री बलदेवराम निवासी गेनाडा लाडनू जिला नागौर से दिनांक 3.2.21 को 30,000 रू0 उधार प्राप्त की गई राशि	03.02.21	एसओ द्वारा	30,000
5	आरोपी श्री कंवरपाल सिंह ने श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री हनुमानराम जाट निवासी कुचीपला पुलिस थाना गच्छीपुरा तहसील मकराना जिला नागौर से जरिए फोनपे दिनांक 11.03.21 को 50,000 रू0 उधार प्राप्त की गई राशि	11.03.21	एसओ द्वारा	50,000
कुल योग				7035465

--: स्टेटमेंट--"द" :-

दिनांक 26.03.96 से 30.06.2015 तक की अवधि में एसओ., उसकी पत्नि व बच्चों के द्वारा किये गये खर्चों का विवरण :-

क्र. सं.	व्यय का विवरण	व्यय करने की दिनांक / वर्ष	किसके द्वारा व्यय किया गया है। एस.ओ. से संबंध	व्यय राशि
1	मोबाईल का अनुमानित खर्च	--		15,000
2	आरोपी के पुत्र श्री यशवर्द्धन सिंह की शिक्षा पर व्यय	--		4,56,969
3	पंजाब नेशनल बैंक	--		1,96,543

30

	अजमेर का हाउस लोन जो दिनांक 30.10.21 तक जमा किया गया मय ब्याज राशि पर व्यय			
4	रसोई खर्च (श्री कंवरपाल सिंह को प्राप्त वेतन आय 43,34,465 का 1/3 हिस्सा) 14,30,373	--		14,30,373
5	वाहन संख्या आरजे-14सीई-7695, स्विफ्ट वीडिआई कार पर पेट्रोल/डीजल खर्च अनुमानित दो वर्ष	--		20,000
कुल योग				2118885

क- बैंक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/ अर्जित की गई सम्पत्तियों का कुल मूल्य (स्टेटमेंट अ)

=शून्य

ख- बैंक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (स्टेटमेंट ब)= 1,00,18,523

ग- स्टेटमेंट 'ब' में से स्टेटमेंट 'अ' में अर्जित परिसम्पत्ति को घटाने पर मूल्य = 1,00,18,523

घ- बैंक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि (स्टेटमेंट 'स') = 7035465

ङ- बैंक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च (व्यय) राशि (स्टेटमेंट 'द') = 2118885

च- बैंक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां एवं व्यय (स्टेटमेंट ग+'ङ')=

1,00,18,523+2118885= 12137408

छ- परिसम्पत्तियां एवं व्यय में से कुल अर्जित आय घटाने पर शेष राशि (स्टेटमेंट 'च'-'घ') =

12137408-7035465= 5101943


ज- आय से अधिक सम्पत्ति प्रतिशत = 72.51 प्रतिशत

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण जांच से आरोपी श्री कंवरपाल सिंह एवं उनकी पत्नि श्रीमती मीनू कंवर द्वारा प्राप्त शुद्ध आय 7035465/- रुपये में से खर्च एवं परिसम्पत्तियों पर व्यय की गई राशि 12137408 रुपये घटाने पर आय परिसम्पत्तियों के मुकाबले 5101943/- रुपये अधिक होना पाये गये है। दौराने जांच प्रस्तुतशुदा दस्तावेजात के आधार पर श्री कंवरपाल सिंह उप निरीक्षक पुलिस तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा अपनी सेवा काल अवधि में 72.51 प्रतिशत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने में आरोपी की पत्नि श्रीमती मीनू कंवर द्वारा कंवर पाल सिंह को उत्प्रेरित कर पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है। अतः आरोपी श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री खीवसिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गांव सेखीसर पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर हाल म0न0 36 जीवन मंदिर कांलोनी लोहागल अजमेर तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर एवं उनकी पत्नि श्रीमती मीनू कंवर पत्नि श्री कंवरपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी गांव सेखीसर पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर हाल म0न0 36 जीवन मंदिर कांलोनी लोहागल अजमेर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी सेवाकाल अवधि दिनांक 16.04.06 से 30.10.21 तक प्राप्त शुद्ध आय 7035465/- रुपये में से खर्च एवं परिसम्पत्तियों पर व्यय की गई राशि 12137408 रुपये घटाने पर परिसम्पत्तियों के मुकाबले 5101943/- रुपये ज्ञात वैद्य आय से अधिक परिसम्पत्तिया आशय पूर्वक अर्जित कर

(22)


स्वयं को अवैध रूप से संपन्न किया है तथा उनकी पत्नि श्रीमती मीनू कंवर द्वारा उक्त सम्पत्तियों को अर्जित किये जाने में षडयन्त्र द्वारा शामिल होकर आरोपी श्री कंवरपाल सिंह को उत्प्रेरित करते हुए सहयोग किया है जो उपरोक्त आरोपीगण द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)ई 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)बी 13(2) पी0सी0 एक्ट (यथा संशोधित) 2018 सपठित धारा 109 व 120बी भा0द0सं0 का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कर्मांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,


(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट—अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)ई,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)बी. 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सहपठित धारा 109 व 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री खीवसिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर हाल निलम्बित पुलिस लाईन नागौर एवं 2. श्रीमती मीनू कंवर पत्नी श्री कंवरपाल सिंह, निवासी गांव सेखीसर पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर हाल मकान नम्बर 36, जीवन मंदिर कॉलोनी लोहागल अजमेर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।



(विशानाराम)

पुलिस अधीक्षक,


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक: 3169-72

दिनांक 26.12.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण आर्धानियम, अजमेर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।



पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।